

आदेश व इजलारा प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 241/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, सी-25, भगवन्त दास रोड़, सेंट जेवियर स्कूल के सामने, सी-स्कीम,
जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. आसिफ जोखिया पुत्र गुलमामद अब्दुल जोखिया,
पता:- प्लेट नं. 5, द्वितीय तल, वास्तुका अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 200, गंगा सागर बी, वैशाली
नगर, जयपुर,
ई-104, क्लासिक होम्स, अम्बर टॉवर, सरखेज के पास, अहमदाबाद, गुजरात,
एफ-803, पीटरसन टॉवर, ओमेक्स हाईट्स, शीमॉक ऑरचिड स्कूल के सामने, सेक्टर 86,
फरीदाबाद,
एवं एडोनिश प्राईवेट लिमिटेड, 132 फीट रिंग रोड़, शास्त्री नगर, बीआरटीएस दस स्टॉप के
पास, नरनपुरा, अहमदाबाद, गुजरात।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security
Interest Act, 2002

स्थित:- श्री विनोद कुमार चौहान, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 15.07.2024


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी आसिफ जोखिया के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 200, गंगा सागर बी, वैशाली नगर, जयपुर वास्तुका अपार्टमेंट के द्वितीय तल पर स्थित प्लेट नं. 5, कुल क्षेत्रफल 863.67 वर्गफीट को बंधक रख कर दिनांक 29.11.2013 को राशि 25,00,000/- रुपये, दिनांक 05.10.2019 को राशि 10,00,000/- रुपये, कुल राशि 35,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.05.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

५०
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 35,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक/हाईपोथिकेशन के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 34,78,822/-रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 23.05.2023 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक/हाईपोथिकेडेड रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक/हाईपोथिकेडेड रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी आसिफ जोखिया के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. 200, गंगा सागर बी, वैशाली नगर, जयपुर वास्तुका अपार्टमेंट के द्वितीय तल पर स्थित फ्लेट नं. 5, कुल क्षेत्रफल 863.67 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से नाम होकर दाखिल दफ्तर हो।



आदेश आज दिनांक 15.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।


(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला माजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर